सूचना का अधिकार अधिनियम 2005/समयबद्ध

संख्या- 1/सू0अ0-03/84-डे0ई0-13-सू0अधि0-6/2013

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 24 सितम्बर, 2013

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदिका को सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनसूचना अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत अनुभाग-4 के पत्र संख्या:1000सू0अ0/लो0शि0-4/2013, दिनांक 09-09-2013 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न श्रीमती सविता यादव, पत्नी श्री रामजन्म सिंह यादव, विक्रेता उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम (पी0डब्लू0डी0 कैन्टीन) वाराण्सी के पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2013 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवेदिका द्वारा संलग्न पत्र में मॉगी गयी सूचनायें उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से संबंधित है, और निगम स्तर से ही आवेदिका को सूचनायें उपलब्ध करायी जानी है ।

2- अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आवेदिका का पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2013 आपको इस आशय के साथ अन्तरित किया जाता है कि अधिनियम की धारा-5(4) के अन्तर्गत आवेदिका को वांछित सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा अधिनियम की धारा 5(5) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी के रूप में आप उत्तरदायी होंगें । आवेदिका को उपलब्ध करायी गयी सूचना की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक :: यथोपरि ।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि श्रीमती सविता यादव, पत्नी श्री रामजन्म सिंह यादव, विक्रेता उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम (पी0डब्लू0डी0 कैन्टीन) वाराणसी उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांक 22 अगस्त, 13 के क्रम में इस आशय से प्रेषित है कि अपेक्षित सूचनायें अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी ।

http://shrmadesh.up.nic.in